न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/626

गजानन्द आत्मज अमरलाल उम्र 58 साल जाति मेघवाल निवासी ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल आयु 53 वर्ष आत्मज मथुरा लाल जाति मेघवाल ।
2. रामरतन आयु 50 वर्ष आत्मज मथुरा लाल जाति मेघवाल ।
3. देवी लाल आयु 47 वर्ष आत्मज मथुरा लाल जाति मेघवाल ।
4. मालचन्द आयु 44 वर्ष आत्मज मथुरा लाल जाति मेघवाल ।
5. रामजानकी बाई आयु 55 वर्ष पुत्री मथुरा लाल जाति मेघवाल ।
6. संतोष बाई आयु 49 वर्ष पुत्री मथुरा लाल जाति मेघवाल ।
7. कस्तूरी बाई बेवा मथुरा आयु 75 वर्ष जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम पोलाई तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार जिला कोटा ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री मनोज तिवारी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सत्यनारायण मेघवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

दिनांक: 08.03.2019

निर्णय

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दीपपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 371 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 434 रकबा 3.540 हैक्टर, खसरा नम्बर 557 रकबा 0.49 हैक्टर कुल 04 किता रकबा 4.20 हैक्टर भूमि स्थित है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 6 के पिता एवं 7 के पति स्व0 मथुरा के खाते में दर्ज है । उक्त आराजी पैतृक है जो वादी व मृतक खातेदार मथुरा को हक विरासत से प्राप्त हुई । मथुरा वादी का चेचरा भाई था । मथुरा जी बचपन में ही गॉव पोलाईकला छोडकर गोद चले गये थे उन्होंने पूरा जीवनकाल पोलाईकलां में ही व्यतीत किया । स्व0 मथुरा लाल अपनी बुआ

देवबाई पत्नी भैरूलाल के यहॉ करीब 78 वर्ष पूर्व गोद चला गया था । स्व0 मथुरा अपनी गोदमाता स्व0 देवबाई तथा अपने गोदपिता की अचल सम्पत्ति पर काबिज थे । स्व0 मथुरा के गोद जाने के पश्चात् उनके समस्त अधिकार प्राकृतिक माता पिता की सम्पत्ति में से समाप्त हो गये थे । ग्राम दीपपुरा की सम्पूर्ण आराजी से मथुरा का कोई सम्बन्ध नहीं रहा । वादी सम्पूर्ण आराजी पर काबिज काश्त है । प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई हक व हिस्सा नहीं है । वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज है जिससे वह उक्त आराजी पर जबरन कब्जा एवं बेचान करना चाहते हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि सम्पूर्ण वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड से प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 का नाम हटाया जाकर सम्पूर्ण आराजी वादी के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करे और न ही अपने प्रतिनिधि से करावे ।

4. प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 ने जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वाद खारिज करने एवं प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. तत्पश्चात् प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी एवं धारा 151 सीपीसी का पेश कर कथन किया कि वादी द्वारा वाद इस आशय का पेश किया है कि मथुरा लाल गोद चला गया था इस कारण उक्त सम्पत्ति का हमे खातेदार घोषित किया जावे । वादी द्वारा गोदनामे का कोई भी दस्तावेज रिकॉर्ड पर नहीं है तथा उक्त वाद 78 साल की अवधि के बाद प्रस्तुत किया गया है जो अवधि बाधित है । इस कारण खारिज होने योग्य है । वाद कारण गोदनामे के आधार पर उत्पन्न नहीं हुआ तथा दत्तक पुत्र घोषित कराने का अधिकार सिविल न्यायालय को है । इस कारण वाद चलने योग्य नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाद वादी खारिज फरमाया जावे ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2018 के द्वारा प्रतिवादीगण क्रम 1 से 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज कर दिया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2018 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट के पिता एवं पति मथुरा लाल जी अपने बुआ देवबाई के यहॉ गोद चले गये और उनकी गोदमाता एवं गोदपिता की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति मथुरालाल को प्राप्त हुई । मथुरालाल जी उक्त भूमि को गोदपुत्र की हैसियत से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं । उक्त तथ्य बाबत् साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का

गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा का है आराजी कृषि है जिसके सम्बन्ध में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है तथा गोद का प्रश्न अनुसंगिक अनुतोष है जिसके सम्बन्ध में तनकी कायम कर निर्णय पारित किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने मियाद के सम्बन्ध में अपीलान्ट के विरूद्ध कयास लगाकर रेस्पोडेन्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपीलान्ट का दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 खारिज किया है । रेस्पोडेन्ट के पिता एवं पति मथुरा लाल जी अपने बुआ देवबाई के यहॉ गोद चले गये और उनकी गोदमाता एवं गोदपिता की मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति मथुरालाल को प्राप्त हुई । मथुरालाल जी उक्त भूमि को गोदपुत्र की हैसियत से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं । उक्त तथ्य बाबत् साक्ष्य व दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का गुणावगुण पर अवलोकन किये बिना ही अपीलान्ट का वाद खारिज कर दिया । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद खातेदारी घोषणा का है आराजी कृषि है जिसके सम्बन्ध में श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार केवल मात्र राजस्व न्यायालय को ही प्राप्त है तथा गोद का प्रश्न अनुसंगिक अनुतोष है जिसके सम्बन्ध में तनकी कायम कर निर्णय पारित किया जा सकता है । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का है । कानूनन हक घोषणा के दावे के लिए कोई समय सीमा नहीं होती है । रेस्पोडेन्ट के द्वारा जो आपत्ति की गई है वह गोद का प्रश्न है जिस पर तनकीयात कायम कर ही निर्णय पारित किया जा सकता है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनाक 20.11.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट 78 वर्ष पूर्व मथुरा लाल के गोद जाने का कथन करते हैं जबकि कोई गोदनामा पेश नहीं किया है और न ही गोद के बाबत् कोई साक्ष्य पेश की है । 78 वर्ष पूर्व गोद जाने की बात कहते हैं इतने समय बाद दावा पेश किया है । गोद के बिन्दु को तय करने का श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है वरन् सिविल न्यायालय को होता है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20.11.2018 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । वादी अपीलान्ट ने एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का यह कथन करते हुए पेश किया कि आराजी वादी एवं मृतक

मथुरा को विरासत में प्राप्त हुई है । मथुरा वादी का चचेरा भाई था, मथुरा बचपन में पौलाईकला गोद चला गया था और पूरा जीवन पौलाईकलां में व्यतीत किया । गोद 78 वर्ष पूर्व गया था वो अपनी गोदमाता और गोदपिता की अचल सम्पत्ति पर काबिज था । गोद जाने से अपने प्राकृतिक माता–पिता की सम्पत्ति में उनका अधिकार समाप्त हो गया है । आराजी पर कब्जा वादी का है । अतः वादी को प्रतिवादीगण के खाते में दर्ज 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण ने जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया जिसमें गोद जाने के कथनों को अस्वीकार किया है इसके उपरान्त प्रतिवादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी का पेश किया है जिसमें यह कथन किया है कि वादी द्वारा गोदनामे का कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है । 78 वर्ष की अवधि के बाद दावा पेश किया है जो अवधि बाधित है । दत्तक पुत्र घोषित कराने का अधिकार सिविल न्यायालय को है इसलिए वाद चलने योग्य नहीं है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दावा वादी खारिज किया है । वादीगण के द्वारा जो दावा पेश किया गया है वो यह कथन करते हुए पेश किया है कि मथुरा बचपन में ही अपने बुआ के यहॉ 78 वर्ष पूर्व गोद चला गया था इस कारण वादग्रस्त आराजी में उनका कोई अधिकार शेष नहीं रहता है । पत्रावली पर उनके द्वारा नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 पेश की गई है उसके अनुसार वादग्रस्त आराजी के 1/2 हिस्से में उनका नाम और 1/2 हिस्से में प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2071 से 2074 में 1/2 हिस्से में मथुरा लाल और 1/2 हिस्से में वादी का नाम दर्ज है । वादीगण के द्वारा कोई रजिस्टर्ड गोदनामा पेश नहीं किया गया है । वादीगण का मुख्य कथन यह है कि गोद चले जाने के कारण वादग्रस्त आराजी में उनका कोई हित–निहित नहीं है । इस प्रकार इस प्रकरण में प्राथमिक प्रश्न यह है कि मथुरा गोद गया था या नहीं और गोद के प्रश्न को तय करने का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है राजस्व न्यायालय को नहीं ।

13. इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से रेस्पोडेन्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर दावा वादी खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.11.2018 बहाल रखा जाता है ।

15. निर्णय आज दिनांक 08.03.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

8/3/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा